भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 700

शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उद्योगों का सतत विकास

700. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्यः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्र में, विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक कल्याण तथा स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में उद्योगों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से उपाय लागू किए जा रहे हैं;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र की मांगों को पूरा करने हेतु कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को बेहतर बनाने में मंत्रालय की क्या भूमिका है; और

(ग) क्या मंत्रालय की विशेष रूप से "एक्ट ईस्ट" नीति तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ क्षेत्रीय संपर्क के परिप्रेक्ष्य में, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के माध्यम से, क्षेत्र के औद्योगिक आधार को बढ़ावा देने की कोई योजना है ?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप, विभिन्न औद्योगिक संवर्धन स्कीमें नामतः पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007; पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017; और उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम (उन्नति), 2024 लागू की हैं। यह अपेक्षित है कि इस स्कीम के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक आधार में पर्याप्त वृद्धि होगी और इससे इस क्षेत्र में निजी निवेश भी बढ़ेगा।

माल और वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न ऐसे उद्योग, इन स्कीमों के अंतर्गत प्रोत्साहनों के लिए पात्र हैं, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई नीतियों और अनुदेशों के अनुरूप हैं, पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करते हैं, जिनके पास लागू पर्यावरणीय स्वीकृति है और उन्हें संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उद्योग स्थापित करने और

संचालित करने के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त है और जो प्लांटेशन, रिफाइनरियों और बिजली उत्पादन इकाइयों जैसे जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं हैं। ये स्कीमें, सेवा क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक सूची और विनिर्माण के लिए एक नकारात्मक सूची प्रदान करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पर्यावरण के अनुकूल कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार औद्योगिक विकास को जारी रखा जाता है।

ये स्कीमें, दोनों क्षेत्रों अर्थात विनिर्माण और सेवाओं को सहयोग प्रदान करती हैं, जिनमें आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, एडटेक, डाटा सेंटर, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, पेय पदार्थ विनिर्माण, कागज और कागज उत्पाद, वस्त्र और अन्य उद्योग शामिल हैं, जो कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलते हैं। ये कार्यकलाप, जनसामान्य के बीच क्षेत्र-विशिष्ट तकनीकी और व्यावसायिक कौशल के लिए अप्रत्यक्ष मांग उत्पन्न करते हैं और उद्यम आधारित रोजगार को बढ़ावा देते हैं।
